न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— सीमा खेतान (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर
07 / 2022

तारीख रजू
09.12.2022

तारीख निर्णय
04.06.2025

1. लल्लूलाल उर्फ लल्लू पुत्र रामरतन जाति ब्राहमण निवासी डूंगरी तह0 खण्डार।
2. रामदयाल पुत्र रामरतन जाति ब्राहमण निवासी डूंगरी तह0 खण्डार।

अपीलाण्टस्

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।
2. ग्राम पंचायत डूंगरी जरिये सरपंच ।

रेस्पोन्टस्

अपील नामान्तकरण संख्या 186 दिनांक 10.07.1972 ग्राम पंचायत डूंगरी

उपस्थिति :—
श्री गोविन्द प्रसाद मथुरिया वकील अपीलाण्टस् की ओर से

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील अपीलान्टस् की ओर से राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1639 निर्णय दिनांक 20.04.2021 ग्राम पंचायत दौलतपुरा के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्टस् द्वारा अपील निम्न प्रकार पेश की गई है कि :—

- नामान्तकरण आदेश संख्या 186 दिनांक 10.07.1972 विधि विरूद्ध व गैरवाजिब होने के कारण लायके निरस्त है।
- यह कि आराजी ख0न0 165, 166, 193, 861, 946, 947, 1126 व 57 कुल किता 8 कुल रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम डूंगरी का एकमात्र खातेदार काश्तकार रामरतन पुत्र श्योनारायण ब्राहमण निवासी डूंगरी रहा है।
- यह कि रामरतन पुत्र श्योनारायण की मृत्यु के उपरांत विरासत का नामान्तकरण संख्या 186 किशनलाल, चिरंजीलाल, लड्डू व रामजीलाल पुत्रान रामरतन के नाम रामरतन के विरासती उत्तराधिकारी पुत्र मानते हुए दिनांक 10.07.1972 को खोला गया जो कि रामरतन के पुत्रों के वास्तविक व सही नाम की जांच किए बिना व प्रार्थीगण अपीलांट को नोटिस दिये बिना खोले जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
- यह कि मृतक रामरतन के किशनलाल व चिरंजीलाल के अलावा अन्य दो पुत्रों के नाम लड्डू व रामजीलाल नही है बल्कि उनके सही नाम लल्लू उर्फ लल्लूलाल व रामदयाल है जिनके बजाय चुनौती ग्रस्त नामान्तकरण संख्या 186 लल्लू के स्थान पर लड्डू एवं रामदयाल केस्थान पर रामजीलाल दर्ज नातान्तकरण कर दिया गया जो कि गलतनाम दर्ज होने से निरस्त किये जाने व सही नाम दर्ज किया जाने योग्य है।
- यह कि उक्त नामान्तकरण रामरतन के वारिसान उत्तराधिकारी पुत्रों अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना खोला जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि यदि उक्त नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाता तो उनके सही नाम दर्ज नामान्तकरण किये जाते जबकि लड्डू व रामजीलाल नाम के रामरतन के कोइ पुत्र नही रहे है। जो कि ग्राम पंचायत डूंगरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी बाखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

- यह कि अपीलार्थीगण जब दिनांक 29/11/22 को किसान क्रेडिट कार्ड (के०सी०सी०) की फाईल तैयार करवाने हेतु जमाबंदी की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण के सम्बन्ध में बताने पर प्रार्थी अपीलांट को सर्वप्रथम उक्त गलत नाम से खोले गये नामान्तकरण की जानकारी हुई उसके बाद अपीलांट ने दिनांक 29/11/22 को नामान्तकरण की नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 29.11.2022 नकल नामान्तकरण प्राप्त की। नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है।
- यह कि समात अपील श्रीमान् को हासिल है।
- यह कि अपील 2/—रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।
- यह कि अन्य उजात वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगे।
- अतः श्रीमान के समक्ष अपील अपीलार्थीगण मय दर मयाद शपथ पत्र पेश कर निवदेन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाकर उक्त नामानतकरण संख्या 186 में रामरतन के वारिसान पुत्रों के रूप में दर्ज नाम लड्डू व रामजीलाल के नाम की प्रविष्टी को निरस्त करते हुए वास्तविक नाम लल्लू उर्फ लल्लूलाल व रामदयाल का नाम बतौर रामरतन के पुत्र विरासत उत्ताधिकारी होने दर्ज नामान्तकरण किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

2. अपील पेश होने पर कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रैस्पो० को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।
3. वकील अपीलाण्टस् बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट के द्वारा बहस में बताया गया है कि रामरतन पुत्र श्योनारायण की मृत्यु के उपरांत विरासत का नामान्तकरण संख्या 186 किशनलाल, चिरंजीलाल, लड्डू व रामजीलाल पुत्रान रामरतन के नाम रामरतन के विरासती उत्तराधिकारी पुत्र मानते हुए दिनांक 10.07.1972 को खोला गया जो कि रामरतन के पुत्रों के वास्तविक व सही नाम की जांच किए बिना व प्रार्थीगण अपीलांट को नोटिस दिये बिना खोले जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक रामरतन के किशनलाल व चिरंजीलाल के अलावा अन्य दो पुत्रों के नाम लड्डू व रामजीलाल नही है बल्कि उनके सही नाम लल्लू उर्फ लल्लूलाल व रामदयाल है जिनके बजाय चुनौती ग्रस्त नामान्तकरण संख्या 186 लल्लू के स्थान पर लड्डू एवं रामदयाल के स्थान पर रामजीलाल दर्ज नातान्तकरण कर दिया गया जो कि गलत नाम दर्ज होने से निरस्त किये जाने व सही नाम दर्ज किया जाने योग्य है। अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाकर उक्त नामानतकरण संख्या 186 में रामरतन के वारिसान पुत्रों के रूप में दर्ज नाम लड्डू व रामजीलाल के नाम की प्रविष्टी को निरस्त करते हुए वास्तविक नाम लल्लू उर्फ लल्लूलाल व रामदयाल का नाम बतौर रामरतन के पुत्र विरासत उत्ताधिकारी होने दर्ज नामान्तकरण किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

आदेश

परिणामस्वरूप अपीलान्टस् के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 186 दिनांक 10.07.1972 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि मृतक रामरतन पुत्र श्योनारायण के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों। मूल नामान्तकरण तहसीलदार खण्डार को भिजवाये जाने हेतु पृथक से तहरीर जारी हों। यह निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)